



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 798090

(प्रारूप - "अ")

सन् 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी के ट्रस्ट /
 सोहरी नामे जाने किये प्रस्तुत द्वारा मन्विप और अण्डर
 सपप्रासप का पत्र-

हम:- बीबरन सिंह (नाम अण्डर) एवं राजराज सिंह (नाम मन्विप) अण्डर: अण्डर एवं मन्विप:- कुबचूषण सिंह
 विद्या भूमि बल्लपुर विद्यालय मैसपुरी नगरपालिका मिर्जापुर जिल्ला काते है।

1. यह कि उपरोक्त सोसाइटी द्वारा ट्रस्ट / कुबचूषण सिंह फार्मेसी कॉलेज (मन्विप का नाम एवं पता
 बल्लपुर विद्यालय मैसपुरी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सन् 2023-24 में किये जाने
 प्रस्तावित है।


एह कि हमारी सोसाइटी नाम के ट्रस्ट / कुबचूषण सिंह फार्मेसी कॉलेज (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) में
 गण्डा संख्या 740/1, 740ए, 740/10, 741, 742, 745 एवं 8570 वर्ग मीटर रकबा समस्त 2 एकड़ एवं 0.857
 हेक्टेयर कुल रकबा 0.8570 हेक्टेयर भूमि है।

2. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी ऋण किसी भी स्थापानक से नहीं चल रहा है और
 भूमि निष्पक्ष है।

3. एह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गण्डा 740/1, 740ए, 740/10, 741, 742,
 745 एवं 8570 वर्ग मीटर रकबा समस्त 8570 वर्ग मीटर एवं 8570 वर्ग मीटर हेक्टेयर कुल रकबा

हस्ताक्षर पर उपरोक्त नाम हिस्सेदार इस कार्यवाही संस्थान की स्थापना क्रिये जाने का प्रस्ताव सीमाईटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक पारित किया गया है।

4. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही उपरोक्त हिस्सेदार कार्यवाही संस्थान के संभावित हेतु अर्जों का विधान अनुमोदित अर्जों के अनुसार किया गया है।
5. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लॉट पर सीमाईटी निर्मित पर उस प्लॉट भूमि नाम के ट्रस्ट / संस्था निर्धारित प्लॉट को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
6. यह कि इन भूमि एवं ट्रस्ट पर निर्मित अर्जों पर कार्यवाही कार्यालय और इतिहास नई दिल्ली के विभागों के माध्यम ही हिस्सेदार कार्यवाही संस्थान का ही संभावित किया जावेगा।
7. यह कि इन संस्था में कार्यवाही कार्यालय और इतिहास नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद में सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अर्जों के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टता प्रदान किया जावेगा।
8. यह कि उपरोक्त भूमि व ट्रस्ट पर निर्मित अर्जों में कार्यवाही कार्यालय और इतिहास नई दिल्ली में अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद 2020 संशुद्ध में सम्बद्ध संस्था अतिरिक्त किसी एक पाठ्यक्रमों के परिषद / महाविद्यालय / विद्यालय / संस्थान अन्य कोई संशुद्ध / अनुमोदित विद्यालय / है क्या किया कमी में पूर्ण हो व संभावित का अर्ज 2020-21 अर्ज और न ही परिषद में कमी किया जावेगा।
9. यह कि संस्थान के संभावित हेतु अर्जों पर कक्षाएं एवं प्रयोगशालाओं एवं कार्यवाही अर्जों को कार्यवाही कार्यालय और इतिहास नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यमों के अनुसार ही सुपरिविज किया जावेगा।
10. यह कि संस्था के संभावित हेतु आवश्यक जैतिक एवं अर्थिक स्ट्राफ की वेबसाई सीमाईटी पर द्वारा ट्रस्ट / संस्था किया कर पूर्ण के अर्ज
11. यह कि संस्था में संभावित में यदि कक्षाएं पाठ्य प्रयोगशाला का अर्जों / निर्देशों निर्मित द्वारा परिषद / माध्यम में निरीक्षण स्थानीय समन भी निर्माणकार कोर्टों की कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे माग होगा। इन हेतु में द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
12. मैं मोक्षदा बरहाजा सिटी में ही मुझ पर उपरोक्त प्लॉट की द्वारा में कि हे कमी/अर्जों में पूर्ण रूप में माग है यदि ही कमी जानकारी एवं अधिकतम कमी इत्यादि / इतरित अर्जों पर पूर्ण पाये जाते हैं तो में परिषद परिषद द्वारा निर्माणकार कक्षा समन कार्यवाही की जायेगी। ऐसी ही कमी विधिक कार्यवाही हेतु में स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।



[Handwritten signature]
[Name]

10/09/23
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]